उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 32/2015/515 सी/छप्पन-2015-93/13

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2015

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में नागरिक उड्डयन विभाग के अनुदान संख्या-38 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में इंगित लेखाशीर्षक के सापेक्ष तथा उसके नीचे दिये गये कारणों से प्राविधानित धनराशि की व्यय की आवश्यकता न होने के कारण कुल रूपये 25,49,000/- (रूपये पच्चीस लाख उननचास हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग को पुर्नग्रहण हेतु समर्पित की जाती है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक	समर्पित की जाने वाली धनराशि
2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114- वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय	
01- वेतन	127
02- मजदूरी	1
03-मंहगाई भत्ता	612
04-यात्रा भत्ता	170
05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	100
06- अन्य भत्ते	2
07- मानदेय	1
08-कार्यालय व्यय	1
09- विद्युत व्यय	1
10-जलकर/जल प्रभार	1
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	4
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3
13-टेलीफोन व्यय	149
14-मोटर गाडियों का क्रय	700
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1
17- किराया उपशुल्क एंव कर स्वामित्व	4
21-छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	146
22-आतिथ्य व्यय	73
25-लघु निर्माण कार्य	2
26- मशीनें साज-सज्जा एंव संयंत्र	9

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

29-अनुरक्षण	2
39-औषधि तथा रसायन	4
40- औषधालय हेतु साज-सज्जा का क्रय	0
42-अन्य व्यय	1
44- प्रशिक्षण व्यय हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	235
45-अवकाश यात्रा व्यय	200
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	0
49-चिकित्सा व्यय	0
51-वर्दी व्यय	0
योग	2549
(रूपये पच्चीस लाख उननचास हजार मात्र)	

<u>बचत के कारण:</u>

01-वेतन- इस मद में आवश्यकतानुसार एरियर का भुगतान होने के फलस्वरूप बचत हुई है।

02-मजदूरी- इस मद में रूपये 1 हजार की बचत हुई है।

03-मंहगाई भत्ता- इस मद में एक कार्मिक के सेवानिवृत्त होने एवं आवश्यकतानुसार एरियर का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप बचत हुई है।

04-यात्रा भत्ता- इस मद में अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान किये जाने के फलस्वरूप बचत हुई है।

05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय- इस मद में मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई है।

06-अन्य भत्ते- कार्मिक के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप बचत हुई है।

07-मानदेय- टोकन प्राविधान के कारण बचत हुई है।

08-कार्यालय व्यय- मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई है।

09-विद्युत व्यय- मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई है।

10-जलकर-जल प्रभाग- नगर निगम से प्राप्त बिल के आधार पर भुगतान किये जाने के कारण बचत हुई है।

11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई - मितव्वयता बरतने के कारण बचत हुई है।

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण- मितव्वयता बरतने के कारण बचत हुई है।

13-टेलीफोन पर व्यय- मितव्ययता बरतने के कारण बचत हुई है।

14-मोटर गाडियों का क्रय- मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का पालन किये जाने के कारण बचत हुई है।

16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान- आवश्यकतानुसार अधिवक्ताओं आदि की फीस का भुगतान किये जाने के कारण बचत हुई है।

-----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व- इस मद में निगम द्वारा प्राप्त बिल का भुगतान वास्तविकता के आधार पर व्यय किये जाने के कारण बचत हुई है।

21-छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन- इस मद में ट्रेनी अपरेन्टिसों को आवश्यकतानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप बचत हुई है।

22-आतिथ्य व्यय- मित्व्ययता बरतने के कारण बचत हुई है।

25-लघु निर्माण कार्य- मित्व्ययता बरतने के कारण बचत हुई है।

26-मशीनें साज-सज्जा एवं उपकरण संयंत्र- आवश्यकतानुसार कार्यालय के उपयोगार्थ मशीनें एवं उपकरण क्रय किये जाने के कारण बचत हुई है।

39-औषधि तथा रसायन- आवश्यकतानुसार औषधि आदि का क्रय किये जाने के कारण बचत हुई है।

42-अन्य व्यय- वायुयानों/हेलीकाप्टरों का आवश्यकतानुसार अनुरक्षण कराये जाने के फलस्वरूप बचत हुई है।

44-प्रशिक्षण व्यय हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय- आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कराये जाने के कारण बचत हुई है।

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

संख्या: ई-7-355(1)/दस-2015-तद्दिनांक 31 मार्च, 2015

प्रतिलिपि महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त रूपये 25,49,000/- (रूपये पच्चीस लाख उननचास हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग द्वारा पुनग्र्रहीत कर ली गई है।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव।

संख्या: 32/2015/515सी(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।